रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2002/फाल्गुन 8, 1923

No. 31] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2002/PHALGUNA 8, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2002

सं. टीएएमपी/11/2001-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 और 50 का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार तूतीकोरिन पत्तन न्यास के कंटेनर टर्मिनल में आने वाले जलयानों के निकर्षण के लिए देय संशोधित विशेष दर की वैधता को कुल निकर्षण की विशेष दर में संशोधन की तारीख तक बढ़ाने के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/11/2001-टीपीटी

तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) ... आवेदक

आदेश

(फरवरी, 2002 के 25वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) में भारी निकर्षण के लिए विशेष दर निर्धारित करते हुए 2 जून, 2000 को एक आदेश पारित किया था। तत्पश्चात्, टीपीटी से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, कंटेनर बर्थ में आने वाले जलयानों के मामले में भारी निकर्षण की विशेष दर में 27 फरवरी, 2001 से 26 अगस्त, 2001 तक की छह माह की अवधि के लिए कमी को अनुमोदित किया गया। टीपीटी के अनुरोध पर भारी निकर्षण की संशोधित विशेष दर की वैधता को शुरू में 27 अगस्त, 2001 से 3 माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था और उसके पश्चात् इस प्राधिकरण के 19 अगस्त, 2001 के आदेश द्वारा 27 नवंबर, 2001 से 3 माह की अवधि के लिए अथवा कुल निकर्षण की विशेष दर में संशोधन होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया था। यह आदेश 20 नवंबर, 2001 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2.1 टीपीटी ने अब कुल निकर्षण की विशेष दर में संशोधन के अपने प्रस्ताव पर निर्णय होने की तारीख तक रियायत देने का प्रस्ताव किया है।

2.2 टीपीटी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित बातें कही हैं :—

(i) टीपीटी के न्यासी बोर्ड ने 16 फरवरी, 2002 को हुई बैठक में कुल निकर्षण की विशेष दर में संशोधन के नए प्रस्ताव पर विचार किया था। इस प्रस्ताव को विचार के लिए प्राधिकरण के पास भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

(ii) टीपीटी में कंटेनर टर्मिनल में आने वाले जलयानों पर भारी निकर्षण की संशोधित विशेष दर की वैधता को प्रशुल्क में सामान्य संशोधन करने के पत्तन के प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण का आदेश लागू होने की तारीख तक बढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य बिना किसी ब्रेक के टीपीटी कंटेनर टर्मिनल में आने वाले कंटेनर जलयानों पर भारी निकर्षण की संशोधित विशेष दर को जारी रखना है।

3. उल्लेखनीय है कि पहले टीपीटी के व्यावसायिक निर्णय के आधार पर विशेष दर में कमी की गई थी। वर्तमान मामले में, टीपीटी ने इस आधार पर रियायत देने की मांग की है कि टीपीटी ने निकर्षण लेवी के बृहत संशोधन को अपनी दरों के मान में सामान्य संशोधन किए जाने

के अपनी प्रस्ताव में शामिल किया है, जिसे 16 फरवरी, 2002 को हुई बैठक में न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

4. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण टीपीटी में कंटेनर टर्मिनल में आने वाले जलयानों पर भारी निकर्षण की संशोधित विशेष दर की वैधता को टीपीटी की दरों के मान में अगले सामान्य संशोधन/पुनर्विचार के हिस्से के रूप में कुल निकर्षण की विशेष दर में संशोधन के उसके प्रस्ताव पर निर्णय होने की तारीख तक बढ़ाने का निर्णय करता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/असाधारण/2002]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2002

No. TAMP/11/2001-TPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 49 and 50 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Tuticorin Port Trust to extend till the date of revision of the special rate for dredging in total the validity of the revised special rate for dredging payable by vessels calling at its container terminal as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/11/2001-TPT

The Tuticorin Port Trust (TPT) ... Applicant

ORDER

(Passed on this 25th day of February, 2002)

This Authority had passed an Order on 2 June, 2000 prescribing a special rate for capital dredging at the Tuticorin Port Trust (TPT). Subsequently, based on a request from the TPT, a reduction in the special rate for capital dredging in respect of vessels calling at the container berth had been approved for a specific period of six months from 27 February, 2001 to 26 August, 2001. As requested by the TPT, the validity of the revised special rates for capital dredging was initially extended for a period of three months with effect from 27 August, 2001 and further extended for a period of three months from 27 November, 2001 or till the date of revision of the special rate for dredging in total whichever is earlier, vide this Authority's Order dated 19 November, 2001. The Order was notified in the Gazette of India on 20 November, 2001.

2.1 The TPT has now proposed to extend the concession till the date of decision on its proposal for revision of the special rate for dredging in total.

2.2 The TPT has given the following points in support of its proposal :

(i) A fresh proposal for the revision of the special rate for dredging in total was considered by the Board of Trustees of the TPT in its meeting held on 16 February, 2002. Action is being taken to send the proposal to the Authority for consideration.

(ii) The validity of the revised special rate for capital dredging on vessels calling at the Container Terminal at the TPT may be extended till the date of implementation of the Order of the Authority on the proposal of the port on general revision of tariff. This is intended to continue the revised special rate for capital dredging on container vessels calling at TPT Container Terminal without any break.

3. It is noteworthy that the special rate was reduced earlier based on a commercial judgement of the TPT. In the instant case, the TPT sought extension of the concession on the ground that the TPT has included comprehensive revision of dredging levy along with its proposal for general revision of its Scale of Rates which has been approved by the Board of Trustees in its meeting held on 16 February, 2002.

4. In the result, and for the reasons given above, this Authority decides to extend the validity of the revised special rate for capital dredging on vessels calling at the Container Terminal at the TPT till the date of decision on its proposal for revision of the special rate for dredging in total as a part of the next general revision/review of its Scale of Rates.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT/III/IV/143/Exty./2002.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.